# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा / माध्य / अ–2 / 21313 / 2016–17 दिनांक : 12-4-2016

## विज्ञप्ति

गैर सरकारी क्षेत्र मे संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति तथा विद्यमान गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे अतिरिक्त संकाय / विषय शुरू करने एवं भवन परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम की स्वीकृति हेतु इच्छुक संस्थाओं से सत्र 2016–2017 हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प09(3) शिक्षा–5 / ऑन लाइन मान्यता / 2015 पार्ट जयपुर दिनांक 11.04.2016 के क्रम में ऑन लाइन प्रस्ताव निम्नानुसार आमन्त्रित किये जाते हैं :–

| क्रम सं0 | विवरण | निर्धारित अन्तिम तिथि |
|---|---|---|
| 1 | संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rte.raj.nic.in)पर प्रस्तुत करना। | 30 अप्रेल 2016 |
| 2 | आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना | 10 मई 2016 |

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति तथा विद्यमान गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे अतिरिक्त संकाय / विषय हेतु एवं भवन परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं संबंधित निर्देशों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय एवं विभाग की वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

press note private school 2014-15

# गैर सरकारी विद्यालयों की मान्यता प्रकिया को ऑनलाईन करने के संबंध में दिशा निर्देश

## अध्याय–1 : परिचय

राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 में विभिन्न स्तर की गैर–सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने का प्रावधान है। राज्य में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की 34 हजार से अधिक संस्थाऐं संचालित हैं। इन संस्थाओं का राज्य में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन संस्थाओं की अनुभूत कठिनाइयों तथा विभाग की आवश्यकताओं को देखते हुए समय–समय पर अधिनियम एवं नियमों के दायरे में अनेक आदेश/परिपत्र जारी किए गए हैं।

वर्तमान में गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की सुविधा तथा विभागीय कार्यालयों के कार्य को सुगम एवं पारदर्शी बनाने की दृष्टि से शैक्षिक सत्र 2016–17 से मान्यता प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन मान्यता हेतु शैक्षिक संस्थाओं एवं विभागीय कार्यालयों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। ये दिशा निर्देश राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 तथा समय–समय पर जारी आदेश/परिपत्रों के आधार पर तैयार किए गए हैं। यदि इन दिशा निर्देशों में मूल अधिनियम/नियम/आदेश/परिपत्रों में कोई विसंगति पायी जाए तो मूल अधिनियम/नियम/आदेश/परिपत्र ही मान्य होंगे।

## अध्याय–2 : आवेदन एवं पात्रता

**1.आवेदन करना** – राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के प्रावधानानुसार गैर–सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार की मान्यता (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त संकाय/विषय इत्यादि) के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। यह आवेदन राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rte.raj.nic.in) पर करना होगा।

**2. नवीन मान्यता, कमोन्नति एवं अन्य मान्यताओं हेतु पात्रता** – कोई भी गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था प्राथमिक (कक्षा 1 से कक्षा 5 तक) अथवा उच्च प्राथमिक (कक्षा 1 से कक्षा 8 तक) स्तर की नवीन मान्यता हेतु आवेदन कर सकती है **(आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है )**, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति हेतु आवेदन किया जा सकता है, साथ ही माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त संकाय/विषय इत्यादि के लिए आवेदन किया जा सकता है **(आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है)**। इन समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्तें निम्नानुसार हैं :–

**2.1.1. आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाऐं :**– विभिन्न प्रकार की मान्यता हेतु आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधायें संलग्न **परिशिष्ट–3** में वर्णितानुसार होनी चाहिए।

**2.1.2. शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी :**– विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी संलग्न **परिशिष्ट–4** में वर्णितानुसार होने चाहिए।

**2.1.3. सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण :**– विद्यालय संचालन की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली

सोसाइटी/ ट्रस्ट का संबंधित नियमों के अनुसार पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के प्रमाण पत्र को स्केन करके अपलोड करना होगा।

**2.1.4 सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य :–** विद्यालय संचालन की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था संचालन का उद्देश्य होना आवश्यक है। सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों को स्केन करके अपलोड करना होगा।

**2.1.5 शुल्क :–** मान्यता हेतु लिए जाने वाले समस्त प्रकार के शुल्कों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट–5** में अंकित है। मान्यता आवेदन शुल्क की राशि का डी.डी. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के पद नाम से बनेगा तथा आरक्षित कोष की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम से बनेगा। मान्यता आवेदन शुल्क की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ ही देना होगा तथा आरक्षित कोष की राशि का डी.डी. तथा फिक्सड डिपोजिट की राशि आवेदन पत्र की जॉच एवं भौतिक सत्यापन के बाद संस्था के प्रस्ताव को मान्यता के योग्य पाए जाने की स्थिति में ही देना होगा। इसके लिए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आनेदनकर्ता को संस्था के मान्यता के योग्य पाए जाने पर यथा शीघ्र सूचित किया जाएगा। समस्त प्रकार के शुल्क प्राप्त होने पर ही मान्यता आदेश जारी किए जाएंगे।

**3.आवेदन की प्रक्रिया –**

**3.1 विद्यालय का पंजीयन एवं पासवर्ड प्राप्त करना –** सभी प्रकार की मान्यताओं हेतु आवेदन राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rte.raj.nic.in) पर करना होगा। सर्वप्रथम गैर सरकारी विद्यालय को पोर्टल पर पंजीयन करना होगा जिसके लिए आवश्यक सूचनाऐं प्रविष्ट करने के बाद मोबाइल पर पासवर्ड प्राप्त होगा। पंजीयन के बाद विद्यालय स्वंय का पासवर्ड बदल सकेंगे जो भविष्य में लॉगिन करने हेतु आवश्यक होगा। **जिन गैर–सरकारी विद्यालयों के पास इस पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु पहले से ही पासवर्ड उपलब्ध है, वे विद्यालय मान्यता हेतु भी उसी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं।**

**3.2 विद्यालय सम्बन्धी सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि –** लॉगिन करने के बाद विद्यालय अपनी आधारभूत संरचना, आवश्यक सुविधाऐं एवं कर्मचारियों सम्बन्धी सभी आवश्यक सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे। इस कार्य में सुविधा के लिए विद्यालय पहले से ही अपने आवेदन के प्रारूप को भर कर तैयार रखें। समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि की स्थिति में ही इन्हें लॉक करें।

**3.3 विद्यालय सम्बन्धी दस्तावेजों को अपलोड करना –** मान्यता के सम्बन्ध में आवश्यक समस्त दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना है **(परिशिष्ट–6)।** जिन दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है, उनको पहले से ही स्केन कर के पैन ड्राइव में तैयार रखें। अपलोड किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों का पूर्ण पठनीय होना आवश्यक है।

**3.4 आवेदन हेतु आवश्यक शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाना –** विभिन्न प्रकार की मान्यता के लिए शुल्क की राशि भी अलग–अलग है, अतः इस राशि की ठीक से गणना कर लें तथा उसके अनुसार ही डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाऐं। मान्यता आवेदन शुल्क की राशि एवं आरक्षित कोष की राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अलग–अलग बनेंगे।

**3.5 आवेदन की हार्ड कॉपी को सम्बन्धित कार्यालय में भेजना** — समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि के बाद इन्हें लॉक करें तथा इसका प्रिंटआउट ले लें। आवेदन के प्रिंटआउट पर विद्यालय संचालन समिति के सचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर लगावें। आवेदन के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज **परिशिष्ट–7** के अनुसार संलग्न करें तथा विद्यालय के 5 फोटो जो अपलोड किये गये है, भी लगावें। पूर्ण आवेदन पत्र को सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को समय पर प्रेषित करें।

## अध्याय–3 : आवेदनों की जॉच एवं भौतिक सत्यापन

**4. आवेदनों की जॉच एवं भौतिक सत्यापन —**

**4.1 प्राप्त आवेदनों की जॉच** — संस्थाओं से प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की समस्त प्रविष्टियाँ तथा संलग्न दस्तावेजों की ठीक से जॉच जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा की जाएगी। अपूर्ण प्रविष्टियों अथवा किसी दस्तावेज के संलग्न न होने या अपूर्ण आवेदन पत्र होने की स्थिति में संस्था को सूचित किया जाएगा। यह कार्य आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मय संलग्न दस्तावेज के कार्यालय में प्राप्ति के सात कार्य दिवसो के अंदर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

**4.2 संस्थाओं का भौतिक सत्यापन** — संस्था द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाओं का भौतिक सत्यापन एक दल द्वारा किया जाएगा। भौतिक सत्यापन की विडियोग्राफी कराई जाये । सत्यापन दल के अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य उ.मा.वि. या समकक्ष अधिकारी तथा सदस्यों के रूप में एक व्याख्याता/प्रधानाध्यापक मा.वि./समकक्ष अधिकारी एवं एक लेखा संबंधी कार्मिक /मंत्रालयिक कार्मिक होगा। एक दल द्वारा अधिकतम तीन गैर सरकारी विद्यालयों का सत्यापन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रत्येक विद्यालय के लिए सत्यापन दल के सदस्यों के नाम, पदस्थापन स्थान व मोबाइल नम्बर की ऑन–लाइन प्रविष्टि की जायेगी तथा इस प्रविष्टि के बाद विद्यालयवार सत्यापन का प्रपत्र प्रिन्ट कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सत्यापन दल प्रभारी को उपलब्ध कराया जाएगा। सत्यापन दल को विद्यालय द्वारा दी गई समस्त सूचनाओं तथा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों का सत्यापन करना होगा। सत्यापन दल को सत्यापित तथ्यों के आधार पर मान्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट अभिषंशा करनी होगी। सत्यापन के बाद तीन दिवस के अन्दर सत्यापन रिपोर्ट सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करनी होगी, जिसकी ऑनलाइन प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा की जाएगी। प्रारम्भिक शिक्षा में सत्यापन दलों के गठन हेतु पर्याप्त अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा मांग किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वारा उनके अधीनस्त विद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/अध्यापकों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सत्यापन दलों का गठन करेंगे। सत्यापन दलों के गठन के बाद इन्हें बदला नहीं जाएगा(स्थानान्तरण, मृत्य व सेवा निवृति को छोड़कर)। निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं करने पर दल के सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

**5. मान्यता का अनुमोदन एवं मान्यता जारी करना** —सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्ति उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदनों का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्ययन किया जाएगा। जिन प्रतिवेदनों में दल द्वारा मान्यता दिए जाने हेतु स्पष्ट अभिशंषा की है, उनके तथ्यों से संतुष्ट होने की स्थिति में ऐसे प्रतिवेदनों पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट अभिषंशा अंकित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा

आरक्षित कोष व बालिका फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट जमा कराने हेतु पत्र जारी किया जाएगा तथा राशि का ड्राफ्ट प्राप्त होने पर मान्यता आदेश जारी करेगें ।

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा., मान्यता दिए जाने हेतु अभिशंषित समस्त आवेदन पत्रों को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा., राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन भेजेंगे। निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद समस्त विद्यालयों को एक साथ आरक्षित कोष व बालिका फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट जमा कराने हेतु पत्र जारी किया जाएगा तथा राशि का ड्राफ्ट प्राप्त होने पर मान्यता आदेश जारी करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा., मान्यता अपने स्तर पर ही जारी करेंगे।

## कार्यक्रम

| क.सं. | विवरण | पूर्व प्रस्तावित | नवीन प्रस्तावित |
|---|---|---|---|
| 1. | आवेदन की अन्तिम तिथि | 10 अप्रैल, 2016 | 30 अप्रैल, 2016 |
| 2. | आवेदन की हार्ड कापी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराना । | 18 अप्रैल, 2016 | 10 मई, 2016 |
| 3. | सत्यापन दलों का गठन एवं भौतिक सत्यापन करना | 09 मई, 2016 | 06 जून, 2016 |
| 4. | भौतिक सत्यापन दलों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना | 16 मई, 2016 | 14 जून, 2016 |
| 5. | जि.शि.अ. द्वारा भौतिक सत्यापन दलों के प्रतिवेदन के आधार पर पत्रावलियों पर अनुशंषा करना | 25 मई, 2016 | 23 जून, 2016 |
| 6. | निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रेषित करना | 31 मई, 2016 | 30 जून, 2016 |
| 7. | माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना देना | 13 जून,2016 | 12 जुलाई, 2016 |
| 8. | माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के पश्चात आरक्षित कोष व बालिका फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट | 20 जून, 2016 | 18 जुलाई, 2016 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | जमा कराने हेतु संस्था को पत्र जारी करना | | |
| 9. | संस्था द्वारा डी.डी. प्रस्तुत करना | 25 जून, 2016 | 22 जुलाई, 2016 |
| 10. | राशि जमा पश्चात स्वीकृति आदेश जारी करना | 30 जून, 2016 | 30 जुलाई, 2016 |

प्रारम्भिक शिक्षा के संबंध मे

| क.सं. | विवरण | पूर्व प्रस्तावित | नवीन प्रस्तावित |
|---|---|---|---|
| 1. | जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक द्वारा बालिका शिक्षा फाण्डेशन एवं आरक्षित कोष की देय राशि के ड्राफट जमा कराने हेतु पत्र जारी करना | 31 मई, 2016 | 30 जून, 2016 |
| 2. | राशि के ड्राफट प्रस्तुत करना | 06 जून, 2016 | 5 जुलाई, 2016 |
| 3. | स्वीकृति आदेश जारी करना | 15 जून, 2016 | 15 जुलाई, 2016 |

# विद्यालय नवीन मान्यता आवेदन प्रत्र प्रारूप

| विद्यालय विवरण | | | |
|---|---|---|---|
| आवेदन दिनांक | | | |
| आवेदन का प्रकार | ◯ 1 to 5 ◯ 1 to 8 | | |
| क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से ही कक्षा 6 के साथ कक्षा 7 एवं 8 भी संचालित करना चाहता है | | | ◯ हाँ ◯ नहीं |
| जिला | | ब्लॉक | |
| ग्राम पंचायत /यु एल बी. | | ग्राम /वार्ड | |
| विद्यालय का पूरा नाम(अंग्रेजी में) | | | |
| विद्यालय का पूरा नाम(हिन्दी में) | | | |
| विद्यालय का स्थान (पूरा पता) | | | |
| ग्राम/शहर का पिनकोड जहाँ विद्यालय स्थित है | | नजदीकी पुलिस थाना का नाम | |
| ग्राम/शहर का STD CODE | | विद्यालय का फोन नंबर | |
| विद्यालय का ईमेल | | विद्यालय की वेबसाइट | |
| मान्यता हेतु विद्यालय का प्रकार | ◯ Girls ◯ Co-Edu | मान्यता हेतु विद्यालय में शिक्षण का माध्यम | ◯ Hindi ◯ English |
| संस्था प्रधान का नाम | | संस्था प्रधान का मोबाइल न. | |
| **सोसाइटी की सामान्य जानकारी** | | | |
| संचालनकर्ता सोसाइटी का नाम | | | |
| सोसाइटी पंजीयन संख्या | | पंजीयन वर्ष एवं दिनॉक | |
| सोसाइटी का पूरा पता | | | |
| सोसाइटी का दूरभाष | | | |
| अध्यक्ष का नाम | | अध्यक्ष का मोबाइल नंबर | |
| सचिव का नाम | | सचिव का मोबाइल नंबर | |
| क्या सोसाइटी के उद्देश्यों में विद्यालय या शिक्षण संस्था खोलना सम्मिलित है | | | ◯ हाँ ◯ नहीं |
| क्या शाषी परिषद की बैठक में इस विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है | | | ◯ हाँ ◯ नहीं |

| शुल्क का विवरण | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मान्यता शुल्क | | डी.डी नं / दिनांक | | बैंक / ब्रांच | |
| बालिका फाउंडेशन | | डी.डी नं / दिनांक | | बैंक / ब्रांच | |
| सावधि जमा (FD) | | एफडी नं / दिनांक | | बैंक / ब्रांच | |

| विद्यालय भवन से सम्बंधित जानकारियां | | | |
|---|---|---|---|
| विद्यालय भवन की स्थिति | ◯ स्वयं सोसाइटी का<br>◯ किराये पर | क्या विद्यालय भवन / अन्य निर्माण / खेल मैदान केवल शैक्षिणिक कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं | ◯ हाँ ◯ नहीं |
| विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल (in. Sq. Mt.) | | विद्यालय में निर्मित भवन का कुल क्षेत्रफल (in. Sq. Mt.) | |
| विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार | ◯ कृषि ◯ आवासीय<br>◯ वाणिज्यिक ◯ संस्थानिक | खेल मैदान के स्वामित्व की स्थिति | ◯ स्वयं सोसाइटी का<br>◯ किराये पर<br>◯ सार्वजनिक पार्क |
| क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है ? | ◯ हाँ ◯ नहीं | क्या विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है ? | ◯ हाँ ◯ नहीं |
| भवन का नक्शा सार्वजनिक | ◯ हाँ ◯ नहीं | अभियन्ता का नाम | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| निर्माण विभाग / राजकीय उपक्रम / हाउसिंग बोर्ड / स्थानीय निकाय के अभियन्ता से प्रमाणित है | | | |
| अभियन्ता का पद | | अभियन्ता का पदस्थान | |
| अभियन्ता का मोबाइल नंबर | | | |
| भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग / राजकीय उपक्रम / हाउसिंग बोर्ड / स्थानीय निकाय के अभियन्ता से प्रमाणित है | ○हाँ ○नहीं | अभियन्ता का नाम | |
| अभियन्ता का पद | | अभियन्ता का पदस्थान | |
| अभियन्ता का मोबाइल नंबर | | क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली चालू हालत में उपलब्ध है ? | ○हाँ ○नहीं |
| क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाइल टावर है ? | ○हाँ ○नहीं | क्या विद्यालय भवन परिसर के ऊपर से हाईटेन्शन विद्युत लाईन गुजर रही हैं ? | ○हाँ ○नहीं |
| **पेयजल / सैनिटरी सुविधा का विवरण** | | | |
| विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था है ? | ○हाँ ○नहीं | यदि हाँ तो क्या -क्या व्यवस्था उपलब्ध हैं | ○नल का कनेक्शन<br>○हैंडपंप / ट्यूबवेल<br>○टांका<br>○टैंकर द्वारा |
| बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय / मूत्रालय की संख्या | | बालकों के लिए पृथक शौचालय / मूत्रालय की संख्या | |
| **अन्य विवरण** | | | |
| कक्षा कक्षों की संख्या जो शिक्षण के लिए इस्तेमाल किये जाते है | | कक्षों की संख्या जो गैर-शिक्षण के लिए इस्तेमाल किये जाते है | |
| पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या | | पुस्तकालय में आने वाले समाचार पत्र / पत्रिकाओं की संख्या | |
| छात्रों के बैठने हेतु स्टूल/ टेबल सेट की संख्या | | | |
| क्या विद्यालय में सभी बालक - बालिकाओं (विशेष योग्यजन सहित) की पहुँच हेतु सुविधाएँ उपलब्ध हैं ? | | | ○हाँ ○नहीं |
| विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता है ? | | | ○हाँ ○नहीं |
| विद्यालय में खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता है ? | | | ○हाँ ○नहीं |
| क्या विद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता हैं ? | | | ○हाँ ○नहीं |

**इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण**

| कक्षा का नाम | कक्षा संख्या | औसत साइज |
|---|---|---|
| कक्षा कक्ष | | |
| प्रधानाध्यापक कक्ष | | |
| कार्यालय कक्ष | | |
| अध्यापक कक्ष | | |
| खेलकूद कक्ष | | |
| भण्डार गृह | | |
| सभा भवन | | |
| पुस्तकालय / वाचनालय | | |

**विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण**

| क्र | कर्मचारी का वर्तमान पदनाम | कर्मचारी का नाम | पिता का नाम | जन्म तिथि | लिंग | शैक्षिणिक योग्यता | प्रशैक्षिणिक योग्यता | क्या शिक्षक RTET / REET/ CTET योग्यता प्राप्त है ? | नियुक्ति तिथि | सेकेंडरी का रोल नंबर | सेकेंडरी का वर्ष | कर्मचारी का मोबाइल न. | कर्मचारी का वर्तमान विषय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |

# विद्यालय क्रमोन्नति मान्यता आवेदन प्रत्र प्रारूप

| विद्यालय विवरण | | | |
|---|---|---|---|
| आवेदन दिनांक | | | |
| आवेदन का प्रकार | ◯ क्रमोन्नति ( ○ 6 to 8 ○ 9 to 10 ○ 11 to 12)<br>◯ स्थान परिवर्तन ◯ अतिरिक्त विषय ◯ अतिरिक्त संकाय ◯ अतिरिक्त माध्यम ◯ वर्ग परिवर्तन ◯ नाम परिवर्तन | | |
| क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से ही कक्षा 6 के साथ कक्षा 7 एवं 8 / कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है | | | ◯ हाँ ◯ नहीं |
| जिला | | ब्लॉक | |
| ग्राम पंचायत /यु एल बी | | ग्राम /वार्ड | |
| विद्यालय का पूरा नाम(अंग्रेजी में) | | | |
| विद्यालय का पूरा नाम(हिन्दी में) | | | |
| क्या विद्यालय मूक बधिर / दृष्टिहीन विद्यालय श्रेणी का हैं ? | | | ◯ हाँ ◯ नहीं |
| क्या विद्यालय जनजाति क्षेत्र में संचालित हैं ? | | | ◯ हाँ ◯ नहीं |
| विद्यालय का स्थान (पूरा पता) | | | |
| ग्राम/शहर का पिनकोड जहाँ विद्यालय स्थित है | | नजदीकी पुलिस थाना का नाम | |
| ग्राम/शहर का STD CODE | | विद्यालय का फोन नंबर | |
| यूडाइस (UDISE) कोड. यदि है तो | | विद्यालय का स्थापना वर्ष | |
| विद्यालय का ईमेल | | विद्यालय की वेबसाइट | |
| संस्था प्रधान का नाम | | संस्था प्रधान का मोबाइल न. | |
| **सोसाइटी की सामान्य जानकारी** | | | |
| संचालनकर्ता सोसाइटी का नाम | | | |
| सोसाइटी पंजीयन संख्या | | वर्ष एवं दिनॉक | |
| सोसाइटी का पूरा पता | | | |
| सोसाइटी का दूरभाष | | | |
| अध्यक्ष का नाम | | अध्यक्ष का मोबाइल नंबर | |
| सचिव का नाम | | सचिव का मोबाइल नंबर | |
| क्या क्रमोन्नति / अतिरिक्त संकाय/ अतिरिक्त विषय / माध्यम परिवर्तन / स्थान परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम / वर्ग परिवर्तन हेतु विद्यालय की प्रबंध समिति ने अनुमोदन प्रस्ताव पारित किया हैं | | | ◯ हाँ ◯ नहीं |

**गत तीन वित्तीय वर्षो का आय / व्यय का विवरण**

| क्र.सं. | वर्ष | आय | व्यय | सरप्लस / डेफिसिट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

| पूर्व संचालित मान्यता से सम्बंधित जानकारी | | | |
|---|---|---|---|
| अंतिम विभागीय मान्यता आदेश संख्या | | अंतिम विभागीय मान्यता आदेश दिनांक | |
| पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी | ◯ Primary (1-5)<br>◯ Pr. with Up.Pr. sec. and H.Sec. (1-12) | ◯ Primary with Upper Primary (1-8)<br>◯ Pr. Up Pr. and Secondary Only (1-10) | |
| पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का प्रकार | ◯ Girls ◯ Co-Edu | पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय में शिक्षण का माध्यम | ◯ Hindi ◯ English |

| | | | |
|---|---|---|---|
| विद्यालय राजस्थान बोर्ड से संबद्धता प्राप्त हैं | ◯ हाँ ◯ नहीं | यदि हैं तो, बोर्ड से प्राप्त संबद्धता का विद्यालय कोड | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| नवीनतम आरटीई मान्यता आदेश संख्या | | नवीनतम आरटीई मान्यता आदेश दिनांक | |

| | | |
|---|---|---|
| पूर्व मान्यता के अनुसार कक्षा 11 एवं 12 में संचालित संकाय | ◯ विज्ञान | अध्यापन विषय:<br>1................. .... 2 ......................... 3 .......................<br>4................ .......5 .............................. 6 ........................ |
| | ◯ वाणिज्य | अध्यापन विषय:<br>1................ .....2 ............................ 3 ....................... .<br>4....................... 5 ............................ 6 ...................... |
| | ◯ कला | अध्यापन विषय:<br>1................ ......2 ......................... .3 ....................... ......<br>4......................... 5 ......................... 6 ............................<br>7............................8 ......................... 9 ........................... |

## शुल्क का विवरण

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मान्यता शुल्क | | डी.डी नं / दिनांक | | बैंक / ब्रांच | |
| बालिका फाउंडेशन | | डी.डी नं / दिनांक | | बैंक / ब्रांच | |
| सावर्धि जमा (FD) | | एफडी नं / दिनांक | | बैंक / ब्रांच | |

## विद्यालय भवन से सम्बंधित जानकारियां

| | | | |
|---|---|---|---|
| विद्यालय भवन की स्थिति | ◯ स्वयं सोसाइटी का<br>◯ किराये पर | क्या विद्यालय भवन / अन्य निर्माण / खेल मैदान केवल शैक्षणिक/सह शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता हैं | ◯ हाँ ◯ नहीं |
| विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल (in. Sq. Mt.) | | विद्यालय में निर्मित भवन का कुल क्षेत्रफल (in. Sq. Mt.) | |
| विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार | ◯ कृषि ◯ आवासीय<br>◯ वाणिज्यिक ◯ संस्थानिक | क्या विद्यालय में छात्रावास संचालित है ? | ◯ हाँ ◯ नहीं |
| खेल मैदान के स्वामित्व की स्थिति | ◯ स्वयं सोसाइटी का<br>◯ किराये पर<br>◯ सार्वजनिक पार्क | खेल मैदान का कुल क्षेत्रफल (in. Sq. Mt.) | |
| क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है ? | ◯ हाँ ◯ नहीं | क्या विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है ? | ◯ हाँ ◯ नहीं |
| भवन का नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग / राजकीय उपक्रम / हाउसिंग बोर्ड / स्थानीय निकाय के अभियन्ता से प्रमाणित है | ◯ हाँ ◯ नहीं | अभियन्ता का नाम | |
| अभियन्ता का पद | | अभियन्ता का पदस्थान | |
| अभियन्ता का मोबाइल नंबर | | | |
| भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग / राजकीय उपक्रम / हाउसिंग बोर्ड / स्थानीय निकाय के अभियन्ता से | ◯ हाँ ◯ नहीं | अभियन्ता का नाम | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्रमाणित है | | | |
| अभियन्ता का पद | | अभियन्ता का पदस्थान | |
| अभियन्ता का मोबाइल नंबर | | क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? | ○हाँ ○नहीं |
| क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाइल टावर है ? | ○हाँ ○नहीं | क्या विद्यालय भवन परिसर के ऊपर से हाईटेन्शन विद्युत लाईन गुजर रही हैं ? | ○हाँ ○नहीं |

## पेयजल / सैनिटरी सुविधा का विवरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| विद्यालय में स्वच्छ पेयजल हेतु उचित व्यवस्था है ? | ○हाँ ○नहीं | यदि हाँ तो क्या -क्या व्यवस्था उपलब्ध हैं | ○नल का कनेक्शन<br>○हैंडपंप / ट्यूबवेल<br>○टांका<br>○टैंकर द्वारा |
| बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय / मूत्रालय की संख्या | | बालकों के लिए पृथक शौचालय / मूत्रालय की संख्या | |

## अन्य विवरण

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कक्षा कक्षों की संख्या जो शिक्षण के लिए इस्तेमाल किये जाते है | पूर्ण निर्मित | | अर्ध निर्मित | | कक्षों की संख्या जो गैर-शिक्षण के लिए इस्तेमाल किये जाते है | पूर्ण निर्मित | | अर्ध निर्मित | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या | | पुस्तकालय में आने वाले समाचार पत्र / पत्रिकाओं की संख्या | |
| क्या विद्यालय में लाइब्रेरियन नियुक्त हैं | ○हाँ ○नहीं | क्या विद्यालय में लिपिक नियुक्त हैं | ○हाँ ○नहीं |
| क्या विद्यालय में पीटीआई नियुक्त हैं | ○हाँ ○नहीं | क्या विद्यालय में लैब अस्सिटेंट नियुक्त हैं | ○हाँ ○नहीं |
| क्या विद्यालय में लैब बॉय नियुक्त हैं | ○हाँ ○नहीं | | |
| **विद्यालय में सह शैक्षणिक गतिविधि** | | | |
| एन. सी. सी | ○हाँ ○नहीं | स्काउट | ○हाँ ○नहीं |
| एन. एस. एस. | ○हाँ ○नहीं | ईको क्लब | ○हाँ ○नहीं |
| क्या विद्यालय में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध हैं | ○हाँ ○नहीं | विद्यार्थियों के बैठने हेतु सिंगल सिटेड फर्नीचर की संख्या | |

| | |
|---|---|
| क्या विद्यालय में सभी बालक - बालिकाओं (विशेष योग्यजन सहित) की पहुँच हेतु सुविधाएँ उपलब्ध हैं ? | ○हाँ ○नहीं |
| विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता है ? | ○हाँ ○नहीं |
| विद्यालय में खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता है ? | ○हाँ ○नहीं |
| क्या विद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता हैं ? | ○हाँ ○नहीं |

## इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण

| **कक्ष का नाम** | **कक्ष संख्या** | **औसत साइज** | |
|---|---|---|---|
| | | लम्बाई (in Mt.) | चौड़ाई (in Mt.) |
| कक्षा कक्ष | | | |
| प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य कक्ष | | | |
| कार्यालय कक्ष | | | |
| अध्यापक कक्ष | | | |
| खेलकूद कक्ष | | | |
| भंण्डार गृह | | | |
| सभा भवन | | | |
| पुस्तकालय / वाचनालय | | | |
| भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| रसायन विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष | | | |
| जीव विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष | | | |
| कृषि विषय के लिए अतिरिक्त प्रयोगशाला : कृषि भूमि सुविधा सिचाई सुविधायुक्त, ओजार एवं बीज भंण्डार । | | | |

## विद्यार्थी का नामांकन विवरण

| क्र. | कक्षा | कुल नामांकन | आरटीइ में नामांकन | वार्षिक शुल्क |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKG/Nur | | | |
| 2 | UKG/KG | | | |
| 3 | PREP/HKG | | | |
| 4 | I | | | |
| 5 | II | | | |
| 6 | III | | | |
| 7 | IV | | | |
| 8 | V | | | |
| 9 | VI | | | |
| 10 | VII | | | |
| 11 | VIII | | | |
| 12 | IX | | | |
| 13 | X | | | |
| 14 | XI Science | | | |
| 15 | XII Science | | | |
| 16 | XI Comm. | | | |
| 17 | XII Comm. | | | |
| 18 | XI Arts | | | |
| 19 | XII Arts | | | |

## विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण

| क्र | कर्मचारी का वर्तमान पदनाम | कर्मचारी का नाम | पिता का नाम | जन्म तिथि | लिंग | शैक्षिणिक योग्यता | प्रशैक्षिणिक योग्यता | क्या शिक्षक RTET / REET/ CTET योग्यता प्राप्त है ? | नियुक्ति तिथि | सेकेंडरी का रोल नंबर | सेकेंडरी का वर्ष | कर्मचारी का मोबाइल न. | कर्मचारी का वर्तमान विषय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |

## 1. अतिरिक्त माध्यम

| | |
|---|---|
| परिवर्तन हेतु वांछित माध्यम | ◯ Hindi ◯ English |

## 2. स्थान परिवर्तन

| वर्तमान में स्कूल का स्थान | | | |
|---|---|---|---|
| जिला | | ब्लॉक | |
| ग्राम पंचायत /यु एल बी | | ग्राम /वार्ड | |
| विद्यालय का पूरा नाम | | | |
| विद्यालय का स्थान (पूरा पता) | | | |
| विद्यालय में भवन की स्थिति | ◯ स्वयं सोसाइटी का<br>◯ किराए पर | वर्तमान स्थान से परिवर्तन हेतु वांछित स्थान की दुरी (कि.मी. में) | |

## 3. अतिरिक्त विषय

| | | | |
|---|---|---|---|
| पूर्व मान्यता अनुसार संकाय | | पूर्व मान्यता अनुसार संकाय के विषय | |
| वांछित अतिरिक्त विषय | | | |

## 4. अतिरिक्त संकाय

| | | | |
|---|---|---|---|
| पूर्व मान्यता अनुसार संकाय | | पूर्व मान्यता अनुसार संकाय के विषय | |
| वांछित अतिरिक्त संकाय | | वांछित अतिरिक्त संकाय के विषय | |

परिशिष्ट– 3

## समस्त प्रकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय इत्यादि) हेतु न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाऐं

| विवरण | मान्यता का प्रकार | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नवीन मान्यता | | क्रमोन्नति | | | अतिरिक्त माध्यम मा./उ. मा. | अतिरिक्त संकाय उ. मा. | अतिरिक्त विषय उ. मा.वि | स्थान परिवर्तन | | वर्ग परिवर्तन |
| | प्राथमिक स्तर | उच्च प्राथमिक स्तर | प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर | उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर | माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर | | | | उसी शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 कि.मी. की दूरी तक उसी शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 कि.मी. से अधिक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 कक्षा कक्ष | 2 | 5 | 5 | 14 कक्ष (6x8) वर्ग मी0 प्रत्येक कक्ष | 16 कक्ष (6x8) वर्ग मी0 प्रत्येक कक्ष | अतिरिक्त कक्ष होने पर | छात्र व्यवस्था हेतु कक्ष अनिवार्य | छात्र व्यवस्था हेतु कक्ष अनिवार्य | भौतिक संसाधन विद्यालय के स्तर के अनुरूप | | – |
| 2 कार्यालय सह भंडार कक्ष | 1 | 1 | 1 | 64 वर्ग मीटर | 64 वर्ग मीटर | – | – | – | | | – |
| 3 शौचालय/मूत्रालय (बालकों के लिए) | 1 | 1 | 1 | 80 पर एक शौचालय / 20 पर एक मूत्रालय | 80 पर एक शौचालय / 20 पर एक मूत्रालय | – | – | – | | | – |
| 4 शौचालय/मूत्रालय (बालिकाओं के लिए) | 1 | 1 | 1 | 40 पर एक शौचालय / 20 पर एक मूत्रालय | 40 पर एक शौचालय / 20 पर एक मूत्रालय | – | – | – | | | – |
| 5 सुरक्षित एवं पर्याप्त पीने योग्य पानी की सुविधा | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | – | – | – | | | – |
| 6 खेल का मैदान एवं खेल का सामान | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | – | – | – | | | – |
| 7 चारदीवारी | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | – | – | – | | | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 पुस्तकालय सुविधा | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | — | — | — | | — |
| 9 शिक्षण अधिगम सामग्री | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | — | — | — | | — |
| 10 अग्नि शमन यंत्र की स्थापना एवं इसके परिचालन का स्टाफ को प्रशिक्षण। (10 रू. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है) | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अग्नि शमन यंत्र की रसीद, अनिवार्य | अग्नि शमन यंत्र की रसीद, अनिवार्य | — | — | — | | — |
| 11संस्था के परिसर से विद्युत की हाईटेंशन लाइन नहीं गुजर रही हो। (10 रू. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है) | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | — | — | — | | — |
| 12संस्था के परिसर में मोबाइल टॉवर स्थापित नहीं है। (10 रू. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है) | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | — | — | — | | — |

परिशिष्ट– 4

## समस्त प्रकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय इत्यादि) हेतु आवश्यक शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द

| विवरण | मान्यता का प्रकार | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नवीन मान्यता | | क्रमोन्नति | | | अतिरिक्त माध्यम | अतिरिक्त संकाय | अतिरिक्त विषय | | वर्ग परिवर्तन |
| | प्राथमिक स्तर | उच्च प्राथमिक स्तर | प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर | उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर | माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| **संस्था प्रधान** (प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य) | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | | – |
| शिक्षक (Grade-1) / व्याख्याता | – | – | – | – | एक संकाय में 3 एवं विषयानुसार | विषयानुसार | विषयानुसार | विषयानुसार | | – |
| शिक्षक (Grade-2) / वरिष्ठ अध्यापक | | – | – | वरि. अध्यापक – 3 विषयानुसार | वरि. अध्यापक –3 विषयानुसार | विषयानुसार | – | विषयानुसार | | – |
| शिक्षक (Grade-3, RTET/REET level-2) सैकण्डरी कक्षाओं में कोई अध्यापक दो से अधिक विषय नहीं पढायेगा। | – | 3 (Science/Mathematics-1, Social studies-1, Language-1) | – | 3 एवं छात्र अनुपात अनुसार | 3 एवं छात्र अनुपात अनुसार | विषयानुसार | – | – | | – |
| शिक्षक (Grade-3, RTET/REET level-1) | 2 | 2 | – | छात्र अनुपात अनुसार | छात्र अनुपात अनुसार | छात्र अनुपात अनुसार | – | – | | – |
| पुस्तकालयाध्यक्ष | – | – | – | 1 | 1 वरि. पुअ. | – | – | – | | – |
| <u>लिपिक ग्रेड–1</u><br><u>लिपिक ग्रेड–2</u> | – | – | – | 500 छात्र संख्या तक एक लिपिक ग्रेड–1 और अधिक पर दो लिपिक | 900 तक एक वलि तथा तीन कलि | – | – | – | | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ग्रेड–2 | | | | | | |
| प्रयोगशाला सहायक | – | – | – | – | 3 | – | – | – | | – |
| प्रयोगशाला सेवक | – | – | – | – | 3 | – | – | – | | – |
| गृह विज्ञान हेतु पृथक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | | | | – | 1 | – | – | – | | – |
| सहायक कर्मचारी | – | – | | 1 | 1 | – | – | – | | – |

परिशिष्ट– 5

## समस्त प्रकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय इत्यादि) हेतु फीस की राशि का विवरण(रूपऐ में)

| फीस का विवरण | मान्यता का प्रकार | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नवीन मान्यता | | क्रमोन्नति | | | अतिरिक्त माध्यम | अतिरिक्त संकाय | अतिरिक्त विषय | स्थान परिवर्तन | | वर्ग परिवर्तन |
| | प्राथमिक स्तर | उच्च प्राथमिक स्तर | प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर | उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर | माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर | | | | उसी शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 कि.मी. की दूरी तक | उसी शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 कि.मी. से अधिक (बालिका शिक्षा फाउंडेशन को देय) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| मान्यता आवेदन शुल्क (डी.डी. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. के नाम) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 15,000 | प्राथमिक –4,000 उच्च प्राथमिक –6,000 माध्यमिक –7,000 उच्च माध्यमिक –10,000 | 15,000 प्रति संकाय | 5,000 प्रति विषय | प्राथमिक –4,000 उच्च प्राथमिक –6,000 माध्यमिक –7,000 उच्च माध्यमिक –10,000 | प्राथमिक –4,000 उच्च प्राथमिक –6,000 माध्यमिक –7,000 उच्च माध्यमिक –10,000 | प्राथमिक –4,000 उच्च प्राथमिक –6,000 माध्यमिक –7,000 उच्च माध्यमिक –10,000 |
| मान्यता आवेदन शुल्क अतिरिक्त माध्यम | 4,000 | – | 6,000 | 7,000 | 10,000 | – | – | – | – | – | – |
| मान्यता शुल्क अतिरिक्त कक्षा संचालन | – | मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 7 व 8 / 10 / 12 के संचालन हेतु 25,000 / –अतिरिक्त मान्यता शुल्क | | | | – | – | – | – | – | – |
| आरक्षित कोष की राशि (डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 70,000 | – | 50,000 प्रति संकाय | – | – | प्राथमिक–4,000 उच्च प्राथमिक–6,000 माध्यमिक–7,000 उच्च माध्यमिक–10,000 | – |
| फिक्सड डिपोजिट | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 3,00,000 | 3,00,000 | – | – | – | – | – | – |

परिशिष्ट–6

अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज :–

| | Online Upload Documents list | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोसाइटी पंजीकरण की प्रति | | | | | |
| 2 | सोसाइटी के उद्देश्यों की प्रति | | | | | |
| 3 | भवन के नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति | | | | | |
| 4 | भवन के ब्लू प्रिंट की प्रति | | | | | |
| 5 | विद्यालय भवन के 5 फोटो | | | | | |
| 6 | प्रथम विभागीय मान्यता आदेश की प्रति | | | | | |
| 7 | भूमि उपलब्धता संबंधित दस्तावेज़ यथा रुपान्तरण/ भू आवंटन की प्रति | | | | | |
| 8 | संस्था के भौतिक संसाधनों के दस्तावेज व इनके फोटोग्राफ । | | | | | |

<u>संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज</u>

<u>परिशिष्ट 7</u>

| माध्यमिक शिक्षा | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | क्रमोन्नति | स्थान परिवर्तन | अतिरिक्त संकाय | अतिरिक्त विषय | अतिरिक्त माध्यम | वर्ग परिवर्तन |
| 1 | पूर्व क्रमोन्नति आदेश, मान्यता प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ |
| 2 | संस्था के पजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ |
| 3 | प्रबन्ध समिति के सविधान की सत्यापित प्रति संलग्न | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ |
| 4 | प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची (मय विभागीय प्रतिनिधि का नाम) की सत्यापित प्रति संलग्न | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ |
| 5 | नवीनतम कार्यकारणी सदस्यों की सूची की सत्यापित प्रति | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ |
| 6 | भवन नक्शे के ब्ल्यू प्रिन्ट की सार्वजनिक निर्माण विभाग/ राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के अभियन्ता से प्रमाणित है | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 7 | यदि भवन व स्कूल खेल मैदान की भूमि निजी नही है तो किराये नामें की सत्यापित प्रति (नोट: स्थाई मान्यता हेतु स्कूल भवन व खेल मैदान की भूमि के निजी मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रमाणित प्रति अथवा 11 माह के किराये नामें की सत्यापित प्रति आवश्यक है । | हॉ | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 8 | कुल निर्मित कमरों की संख्या, इनका माप (नॉर्म्स के अनुसार) एवं उपयोग के विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 9 | स्कूल भवन की भूमि एवं खेल मैदान की भूमि का (अकृषि प्रयोजनार्थ / शैक्षिक प्रयोजनार्थ) रूपान्तरित करवाने बाबत् ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम राजस्व अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम/विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी रूपान्तरण आदेश की सत्यापित प्रति / यदि भूमि पहले से ही आबादी क्षेत्र में स्थित हो तो | हॉ | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्कूल की भूमि /खेल मैदान की भूमि को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ उपयोग में परिवर्तन करने के सक्षम अधिकारी के आदेश की सत्यापित प्रति । | | | | | | |
| 10 | विद्यालय में छात्र / छात्राओं के लिए पृथक पृथक शौचालय की व्यवस्था का शपथ पत्र | हॉ | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 11 | विद्यालय /संस्था के आसपास के वातावरण का प्रदूषण रहित होने का संस्था के अध्यक्ष/सचिव के घोषणा पत्र की प्रति। | हॉ | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 12 | ग्रामीण क्षेत्र स्कूल / संस्था होने पर स्वच्छ पेयजल व एहतियात के तौर पर अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था होने का संस्था सचिव के घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति ।<br>अशहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल व अग्निशमन उपकरण होने के सम्बन्ध में नगर पालिका /नगर परिषद् / नगर निगम विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी व अग्निशमन अधिकारी के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति यदि किसी स्थानीय निकाय में अग्निशमन अधिकारी पदस्थापित नही हो तो संस्था सचिव स्वंय का घोषणा पत्र | हॉ | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 13 | संस्था का राष्ट्रविरोधी तथा राजनैतिक गतिविधियों में भाग नही लेने के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की सत्यापित प्रति तथा इस सम्बन्ध में सचिव का शपथ पत्र । | हॉ | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 14 | भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग/ राजकीय उपक्रम/स्थानीय निकाय के अभियन्ता से प्रमाणित है की सत्यापित प्रति। (6 माह से अधिक पुराना नहीं हो) | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 15 | प्रयोगशाला प्रत्येक विषयवार पृथक -पृथक होने की व्यवस्था के प्रमाण की सत्यापित प्रति । | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 16 | कक्षा 6 से 10 माध्यमिक स्तर पर 6 से 12 उच्च माध्यमिक स्तर का कक्षा / सैक्शनवार छात्र संख्या के विवरण की सत्यापित प्रति । | नहीं | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | हॉ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | कक्षा 9 से 10 माध्यमिक स्तर व 11 से 12 उ0मा0वि0 स्तर की कुल छात्र संख्या के बराबर सिंगल सीटड फर्नीचर उपलब्ध है । संबंधित स्थाई स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ की सत्यापित प्रति । | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 18 | छात्र / छात्रा के लिये स्वास्थ्य प्रशिक्षण की सुविधाये उपलब्ध होने के घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति । | हॉ | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 19 | शिक्षक पूर्णरूपेण योग्यताधारी रखे जाने के संबधं में घोषणा प्रति की सत्यापित प्रति | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 20 | आवर्तक / अनावर्तक खर्च का विवरण की सत्यापित प्रति | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 21 | संस्था के आय के श्रोत एवं प्राप्त आय का विवरण की सत्यापित प्रति । | हॉ | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 22 | लिपिक / प्रयोगशाला सहायक/ पुस्ताकालयाध्यक्ष नियमानुसार नियुक्त किये जाने के शपथ पत्र की प्रति । | हॉ | नहीं | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 23 | विद्यालय में कम्प्यूटर एवं ब्रोड-बैण्ड की सुविधा होने के संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति । | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ |
| 24 | राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम 1993 एवं इसके संलग्न परिशिष्ठ 2 के साथ बोर्ड मान्यता संबंधित अध्याय 13,13 ए 13 बी के 01.09.2011 से प्रभावी विनियमों की पालना में समस्त भोतिक एवं वितीय शर्तो की पूर्ती करली गई है । | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 25 | प्रबन्ध कार्यकारिणी का वांछित प्रस्ताव | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ |
| 26 | शिक्षक अभिभावक परिषद का वांछित प्रस्ताव | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ |
| 27 | विद्यालय भवन में अग्निशमन यंत्र लगा होने का, मोबाईल टॉवर विद्यालय परिसर में नहीं लगा होने का तथा विद्यालय परिसर से हाईटेन्शन विद्युत तार नहीं गुजरने का प्रमाण पत्र | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 28 | संस्था द्वारा अतिरिक्त माध्यम हेतु प्रशिक्षित योग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर ली है का प्रमाण पत्र एवं सस्थापन विवरण | नहीं | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 29 | भवन परिवर्तन का औचित्य (ठोस कारणों सहित) स्पष्ट करें(प्रमाण पत्र) | नहीं | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 30 | प्रस्तावित भवन का मालिकाना हक (स्वयं | नहीं | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | का / किरायेनामे की प्रति संलग्न करें) | | | | | | |
| 31 | वर्तमान भवन एवं प्रस्तावित भवन के मध्य दूरी का शपथ पत्र। | नहीं | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 32 | प्रस्तावित भवन उसी नगर निगम / नगर परिषद / नगरपालिका / ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित होने का सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र | नहीं | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 33 | भवन परिवर्तन पश्चात पुराने भवन में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्यापन की क्या व्यवस्था होगी तथा उन्हे शाला छोडने की स्थिति में कहां प्रवेश दिया जाएगा के संबंध में स्पष्ट स्थिति का उल्लेख करते हुये शपथ पत्र प्रस्तुत करें। | नहीं | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 34 | मूत्रालय प्रति 30 विद्यार्थियों पर एक, शौचालय प्रति 100 विद्यार्थियों पर एक एवं छात्राओं के लिये पृथक | हॉ | हॉ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

परिषिष्ट 7

| प्रारंम्भिक शिक्षा | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | नवीन मान्यता | क्रमोन्नति | स्थान परिवर्तन | अतिरिक्त माध्यम |
| 1 | पूर्व क्रमोन्नति आदेश, मान्यता प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति | नहीं | हॉ | हॉ | हॉ |
| 2 | संस्था के पजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ |
| 3 | प्रबन्ध समिति के सविधान की सत्यापित प्रति | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ |
| 4 | प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची (मय विभागीय प्रतिनिधि का नाम) की सत्यापित प्रति | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ |
| 5 | नवीनतम कार्यकारणी सदस्यों की सूची की सत्यापित प्रति | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ |
| 6 | भवन नक्शें के ब्ल्यू प्रिन्ट की सार्वजनिक निर्माण विभाग/ राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के अभियन्ता से प्रमाणित है | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 7 | यदि भवन व स्कूल खेल मैदान की भूमि निजी नही है तो किराये नामें की सत्यापित प्रति (नोटः स्थाई मान्यता हेतु स्कूल भवन व खेल मैदान की भूमि के निजी मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रमाणित प्रति अथवा 11 माह के किराये नामें की सत्यापित प्रति आवश्यक है । | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ |
| 8 | कुल निर्मित कमरों की संख्या, इनका माप (नॉर्म्स के अनुसार) एवं उपयोग के विवरण की सत्यापित प्रति | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ |
| 9 | स्कूल भवन की भूमि एवं खेल मैदान की भूमि का (अकृषि प्रयोजनार्थ / शैक्षिक प्रयोजनार्थ) रूपान्तरित करवाने बाबत् ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम राजस्व अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम/विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी रूपान्तरण आदेश की सत्यापित प्रति / यदि भूमि पहले से ही आबादी क्षेत्र में स्थित हो तो स्कूल की भूमि /खेल मैदान की भूमि को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ उपयोग में परिवर्तन करने के सक्षम अधिकारी के आदेश की सत्यापित प्रति । | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 10 | विद्यालय में छात्र / छात्राओं के लिए पृथक पृथक शौचालय की व्यवस्था का शपथ पत्र | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 11 | विद्यालय /संस्था के आसपास के वातावरण का प्रदूषण | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | रहित होने का संस्था के अध्यक्ष/सचिव के घोषणा पत्र की प्रति। | | | | |
| 12 | ग्रामीण क्षेत्र स्कूल / संस्था होने पर स्वच्छ पेयजल व एहतियात के तौर पर अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था होने का संस्था सचिव के घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति । अशहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल व अग्निशमन उपकरण होने के सम्बन्ध में नगर पालिका /नगर परिषद् / नगर निगम विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी व अग्निशमन अधिकारी के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति यदि किसी स्थानीय निकाय में अग्निश्मन अधिकारी पदस्थापित नही हो तो संस्था सचिव स्वंय का घोषणा पत्र | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 13 | संस्था का राष्ट्रविरोधी तथा राजनैतिक गतिविधियों में भाग नही लेने के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की सत्यापित प्रति तथा इस सम्बन्ध में सचिव का शपथ पत्र । | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 14 | भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग/ राजकीय उपक्रम/स्थानीय निकाय के अभियन्ता से प्रमाणित है की सत्यापित प्रति। (6 माह से अधिक पुराना नहीं हो) | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 15 | प्रयोगशाला प्रत्येक विषयवार पृथक -पृथक होने की व्यवस्था के प्रमाण की सत्यापित प्रति । | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 16 | कक्षा 6 से 10 माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6 से 12 उच्च माध्यमिक स्तर का कक्षा / सैक्शनवार छात्र संख्या के विवरण की सत्यापित प्रति । | नहीं | हॉ | हॉ | नहीं |
| 17 | कक्षा 9 से 10 माध्यमिक स्तर व कक्षा 11 से 12 उ0मा0वि0 स्तर की कुल छात्र संख्या के बराबर सिंगल सीटड फर्नीचर उपलब्ध है । संबंधित स्थाई स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ की सत्यापित प्रति । | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 18 | छात्र / छात्रा के लिये स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधाये उपलब्ध होने के घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति । | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 19 | शिक्षक पूर्णरूपेण योग्यताधारी रखे जाने के संबधं में घोषणा प्रति की सत्यापित प्रति | हॉ | हॉ | नहीं | हॉ |
| 20 | आवर्तक / अनावर्तक खर्च का विवरण की सत्यापित प्रति | हॉ | हॉ | नहीं | नहीं |
| 21 | संस्था के आय के श्रोत एवं प्राप्त आय का विवरण की सत्यापित प्रति। | हॉ | हॉ | नहीं | नहीं |
| 22 | लिपिक / प्रयोगशाला सहायक/ पुस्ताकालयाध्यक्ष नियमानुसार नियुक्त किये जाने के शपथ पत्र की प्रति । | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 23 | विद्यालय में कम्प्यूटर एवं ब्रोड-बैण्ड की सुविधा होने के संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति । | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 24 | राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम 1993 एवं इसके संलग्न परिशिष्ठ 2 के साथ बोर्ड मान्यता संबंधित अध्याय | हॉ | हॉ | हॉ | हॉ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13,13 ए 13 बी के 01.09.2011 से प्रभावी विनियमों की पालना में समस्त भोतिक एवं वितीय शर्तो की पूर्ती करली गई है । | | | | |
| 25 | प्रबन्ध कार्यकारिणी का वांछित प्रस्ताव | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 26 | शिक्षक अभिभावक परिषद का वांछित प्रस्ताव | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 27 | विद्यालय भवन में अग्निशमन यंत्र लगा होने का, मोबाईल टॉवर विद्यालय परिसर में नहीं लगा होने का तथा विद्यालय परिसर से हाईटेन्शन विद्युत तार नहीं गुजरने का प्रमाण पत्र | हॉ | हॉ | हॉ | नहीं |
| 28 | संस्था द्वारा अतिरिक्त माध्यम हेतु प्रशिक्षित योग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर ली है का प्रमाण पत्र एवं सस्थापन विवरण | नहीं | नहीं | नहीं | हॉ |
| 29 | भवन परिवर्तन का औचित्य (ठोस कारणों सहित) स्पष्ट करें(प्रमाण पत्र) | नहीं | नहीं | हॉ | नहीं |
| 30 | प्रस्तावित भवन का मालिकाना हक (स्वयं का/किरायेनामे की प्रति संलग्न करें) | नहीं | नहीं | हॉ | नहीं |
| 31 | वर्तमान भवन एवं प्रस्तावित भवन के मध्य दूरी का **शपथ** पत्र | नहीं | नहीं | हॉ | नहीं |
| 32 | प्रस्तावित भवन उसी नगर निगम/नगरपरिषद/नगरपालिका/ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित होने का सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र | नहीं | नहीं | हॉ | नहीं |
| 33 | भवन परिवर्तन पश्चात पुराने भवन में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्यापन की क्या व्यवस्था होगी तथा उन्हे शाला छोडने की स्थिति में कहां प्रवेश दिया जाएगा के संबंध में स्पष्ट स्थिति का उल्लेख करते हुये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। | नहीं | नहीं | हॉ | नहीं |